एम.ए.सी.पी. संख्या ७५/२०२०,
१. श्रीमती उमा देवी पत्नी स्व. प्रमोद कुमार उम्र करीब २४ वर्ष
२. कु. उर्वशी पुत्री स्व. प्रमोद कुमार उम्र ७ वर्ष
३. कु. पल्लवी पुत्री स्व. प्रमोद कुमार उम्र ३ वर्ष
४. कार्तिक पुत्र स्व. प्रमोद कुमार उम्र २ वर्ष
नाबालिगान जरिये संरक्षिका माँ श्रीमती उमा देवी
निवासीगण ग्राम सिया खरका, थाना ककरबई जिला झाँसी, उ.प्र.

----याचीगण

प्रति

१. जगदीश शिवहरे पुत्र श्री प्रहलाद शिवहरे निवासी वार्ड नं.१, कोलारस जिला शिवपुरी, म.प्र.
........मालिक टवेरा वाहन नं. एम.पी.३३ बी बी १६४९
२. फिरोज खान पुत्र उस्मान खान निवासी सुक्रू कोलारस जिला शिवपुरी, म.प्र.
........चालक टवेरा वाहन नं. एम.पी.३३ बी बी १६४९
३. मुख्य प्रबन्धक चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. सेकेण्ड फ्लोर डेयर आउस नं. २ एन.सी.सी. बोस रोड चैन्नई जरिये प्रबन्धक चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. सेन्ट फ्रान्सेस कॉलेज, ४ मैरीगोल्ड शाहनजफ रोड, हजरतगंज लखनऊ, उ.प्र.
........बीमा कम्पनी टवेरा वाहन नं. एम.पी.३३ बी बी १६४९

----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता– श्री महेन्द्र विश्वकर्मा
विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के अधिवक्ता– श्री सुनील शुक्ला

१०.०३.२०२१

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आज १६बी सुलहनामा पर आदेश हेतु नियत है। प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध कथित मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक प्रमोद कुमार की मृत्यु के कारण ₹३३,००००० प्रतिकर धनराशि मय ब्याज दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को १६बी सुलहनामा पर पूर्व नियत तिथि पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याची व विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा १६बी उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई है। १६बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में **₹८,३०,०००** याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याचीगण सुलहनामा १६बी में दर्शित कुल **₹८,३०,०००** प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार है। अतः याचिका सुलहनामा १६बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा १६बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा १६बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.३ मुख्य प्रबन्धक चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹८,३०,००० (आठ लाख तीस हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी के खाता सं.३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. कोड सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नम्बर/रिफरेंस नंम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जावेगी।

याचीगण सं.१ लगायत ४ क्रमशः मृतक की पत्नी, पुत्री व पुत्र हैं। अतः याचीगण सं.१ लगायत ४ उक्त प्रतिकर की धनराशि में से क्रमशः ४०, २०, २० व २० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। याची सं. २, ३ व ४ अवयस्कगण की समस्त धनराशि की १०-१० वर्ष के लिये एन्युटी तथा याची सं.१ की ७५% धनराशि की ५ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाय तथा याची सं.१ की अवशेष २५% राशि याची अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नगद प्राप्त कर सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.10 17:49:49 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi